

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या—89 / 2016 ..... जिला ..... जोधपुर .....  
उनवान : मैसर्स सुप्रीम ट्रेडिंग कम्पनी, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्—ए, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	--

28 / 01 / 2016

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना—पत्र अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर—प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 21/आरवेट/जेयूए/15—16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012—13 के दौरान 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी को 5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्—अ, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) ने ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने के कारण विवादित बिक्री पर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज का आरोपण आदेश दिनांक 26.06.2015 से किया गया। उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना—पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 9,00,000/- का स्थगन स्वीकार किया गया तथा शेष राशि वसूलनीय अवधारित की गयी। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 1,92,263/- की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना—पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ. पी. माहेश्वरी तथा राजस्व के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि रूपये 1,92,263/- की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

अपील संख्या-89/2016..... जिला ..... जोधपुर.....


उनवान : मैसर्स सुप्रीम ट्रेडिंग कम्पनी, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत-ए, जोधपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज — 2 —	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--


28/01/2016 (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
28-1-2016

सदस्य  
राजस्थान कर बोर्ड  
अजमेर

  
28-01-2016

सदस्य  
राजस्थान कर बोर्ड  
अजमेर